FORM III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट मुकाम अलवर

उनवान रहीस बनाम सरकार

किस्म मुकदमा प्रा0पत्र वास्ते सुपुर्दगी आर.बी.एक्ट नम्बर 15/03/2025
08/01/2025

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.05.2025	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी रहीस पुत्र शेर मोहम्मद निवासी मुण्डेता तहसील पुन्हाना जिला नूंह हरियाणा जरिये अधिवक्ता द्वारा रिट पिटीशन नम्बर 3554/2024 में पारित आदेश दिनांक 20.08.2024 की पालना हेतु पेश किया गया। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय पीठ जयपुर द्वारा आदेश प्रदान किये गये है कि the District Collector, Alwar is directed to release the vehicle seized as case property by imposing following conditions:- a) That the petitioner shall keep the vehicle so released intact and shall not change its identification. b) That the petitioner shall produce the vehicle as and when trial court requires the same for proposed identification of the case property. c) That the petitioner shall furnish the photographs of the vehicle in question showing its number and colour etc. d) At the time of release, the petitioner shall also give an undertaking to the effect that the vehicle in question shall not be used for any illegal purpose and if so found, the petitioner shall be personally liable. e) That the petitioner shall execute a Supurdaginama/ indemnity bond and shall also furnish two surety bonds to the satisfaction of the trial court. Needless to say that before releasing the vehicle in question on Supurdagi, District Collector, Alwar shall ascertain the fact that the petitioner is a registered owner of the vehicle in question and no confiscation proceedings have been initiated in relation to the vehicle in question. पत्रावली का अवलोकन किया गया व प्रार्थी वकील की बहस पर मनन किया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार	

प्रकरण में वाहन स्वामी के संबंध में जांच की गई एवं थानाधिकारी मालाखेड़ा द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में भी उक्त वाहन हो अन्य किसी दीगर मुकदमा में जप्त होना नहीं बताया गया है। साथ ही जप्तशुदा वाहन के स्वामी रहीस ने आर.सी. की प्रति पत्रावली पर पेश की गई है। अन्य किसी व्यक्ति को बेचान के संबंध में भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही है। प्रार्थी का प्रा0पत्र सुपुर्दगी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के आदेश दि0 20.08.2024 के कम में उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रा0पत्र सुपुर्दगी बाबत जप्तशुदा वाहन महिन्द्रा बोलेरो पिकअप रजिस्ट्रेशन नम्बर एच.आर.38 एक्स 3972 स्वीकार किया जाता है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रार्थी वकील द्वारा दो अलग–अलग तस्दीकशुदा सुपुर्दनामा/जमानतनामा पेश किया। शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी को माननीय न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट शर्तो की पालना हेतु पाबंद किया जाता है तथा जब्तशुदा वाहन यदि किसी अन्य प्रकरण में वांछित ना हो तो प्रार्थी को उक्त वाहन सुपुर्दनामे पर दिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी सुपुर्दनामे पर दिये गये वाहन को खुर्द – बुर्द नहीं करेगा, जब भी उक्त वाहन की न्यायालय हाजा अथवा अन्य न्यायालय को आवश्यकता होगी तो वाहन को प्रस्तुत करना होगा। थानाधिकारी मालाखेड़ा अलवर को जब्तशुदा वाहन महिन्द्रा बोलेरो पिकअप रजिस्ट्रेशन नम्बर एच.आर.38 एक्स 3972 को सुपुर्दगी पर दिये जाने हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

जिला कलक्टर
अलवर